संख्या: 25/2019/1425 /सत्रह--म-2019-।।-1-द(2)/2006

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 02 दिसम्बर, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक - 2405- मछली पालन के अन्तर्गत राज्य पोषित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना से मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना हेतु पुनर्विनियोग वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 354/ नि0शा0/ दिनांक 25.10.2019 के साथ प्राप्त बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र जो वित्त विभाग द्वारा संशोधित /अनुमोदित है, को मूल रूप संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- 800- अन्य व्यय- 02-नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर आफ फिशरमैंन-0201-मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना (के050/रा050 के0-रा0), 42- अन्य व्यय में रू0 3.04084 लाख (रू0 तीन लाख चार हजार चौरासी मात्र) की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्रानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।
(2) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
(3) शासकीय व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
(4) उक्तानुसार कुल धनराशि रू0 3.04084 लाख(रू0 तीन लाख चार हजार चौरासी मात्र) के पुनर्विनियोग की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है, कि जिन बचतों की मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उन बचतों की मद में इस वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि की मांग नही की जायेगी।
(5) उपरोक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को तत्काल भुगतान न करके बीमा किश्त डयू होने के 15 दिन पूर्व अवमुक्त की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(6) धनराशि का आहरण भारत सरकार द्वारा इसी धनराशि के समतुल्य धनराशि फिशकोफेड को दिये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण व व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक - 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 800- अन्य व्यय- 02-नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर आफ फिशरमैन- 0201- मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना (के050/रा050 के0-रा0), 42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के पुनर्विनियोग के संलग्न आदेश संख्या-आर0ई0-160 /ई-1-1068-दस-2019 दिनांक 11 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक - प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1</u>

भवदीय

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 25 /2019/1425(1) /सत्रह-म-2019 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 दो प्रतियों में) /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

फार्म-बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्ताव158 देखें)

अनुदान संख्या- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध (मत्स्य) **वित्तीय वर्ष 2019-20**

प्रपत्र बी0एम0-9

(धनराशि रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।**	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन प्रपत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग(2-5)
1	2	3	4	5	6
2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-04-मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण, 42- अन्य व्यय, (240500101040842)	14.30000	4.18539	3.04084	3.04084	11.25916
योग-	**14.30000**	**4.18539**	**3.04084**	**3.04084**	**11.25916**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्यावर्तित कुल व्यय	सक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (8+11)
2405-मछली पालन -800-अन्य व्यय, 02-नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर आफ फिशरमैन-0201-मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना (के050/रा050के+रा0) 42-अन्य व्यय (240500800020142)	5.00000	8.04084	3.04084	3.04084	8.04084
योग-	**5.00000**	**8.04084**	**3.04084**	**3.04084**	**8.04084**

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- स्तम्भ-3 मे उपलब्ध बचत का कारण।

(क) जनपदों में स्थित विभागीय प्रक्षेत्रों हेतु जनपदों द्वारा अन्य व्यय मद में धनराशि की मांग न किये जाने के कारण शासन द्वारा उक्त आवंटित धनराशि का व्यय किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(क) उक्त योजना में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि की आवश्यकता के दृष्टिगत व्यय है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है

संख्या- आर0ई0 160 / ई-1-1068--दस-2019 दिनांकः 11 नवम्बर,2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

हस्ताक्षर.....

नाम व पदनाम-कृपा शकर यादव (अनु सचिव)

प्रशासकीय विभागः मत्स्य विभाग

हस्ताक्षर.....

नाम व पदनाम- (नीलेश कुमार सिंह)

उप सचिव, वित्त।

संख्या: 25 /2019/1425/(1)/सत्रह-म-2019

दिनांकः 02 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।

2- सम्बंधित कोषाधिकारी लखनऊ।

3- निदेशक वित्तीय सांख्यकीय निदशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

4- वित्त आय-व्ययक अनुभाग1 तीन प्रतियों में ।

5- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग1

6- गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर .....

नाम व पदनाम- कृपा शकर यादव (अनु सचिव)

प्रशासकीय विभाग- मत्स्य विभाग ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com